



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102021-230579
CG-DL-E-21102021-230579

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3990]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 2021/आश्विन 28, 1943

No. 3990]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 2021/ASVINA 28, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4340(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3002(अ) तारीख 14.07.2021 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 29.07.2021 में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर- हल्दिया ओर बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जे एच बी डीपी एल) के अभिन्न अंग के रूप में बरौनी- गुवाहटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनें बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

बरौनी & गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना							
अनुसूची							
राज्य: पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
जलपाईगुरी	राजगंज	पानीकौरी(५)	११५	610	00	07	41
				609	00	03	98
				608	00	03	32
				607	00	07	92
				606	00	01	39
				605	00	03	38
				604	00	03	18
				603	00	00	26
				653	00	09	82
				652	00	00	87
जलपाईगुडी	राजगंज	शिकारपुर(११)	१३८	666	00	01	62
				669	00	15	94
				675	00	07	53
				676	00	10	85
				677	00	05	68
				672	00	00	05
				705	00	01	07
				703	00	11	44

[फा. सं. एल-14014/48/2021-जीपी-II) (ई-39702]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

S.O. 4340(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas numbers S. O. No. 3002(E) dated 14.07.2021 issued under sub- section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 29.07.2021 the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an

integral part of Jagdishpur-Haldia & Bolaro - Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of West Bengal by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.	Are	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Jalpaiguri	Rajganj	Panikauri (05)	115	610	00	07	41
				609	00	03	98
				608	00	03	32
				607	00	07	92
				606	00	01	39
				605	00	03	38
				604	00	03	18
				603	00	00	26
				653	00	09	82
				652	00	00	87
Jalpaiguri	Rajganj	Shikarpur (11)	138	666	00	01	62
				669	00	15	94
				675	00	07	53
				676	00	10	85
				677	00	05	68
				672	00	00	05
				705	00	01	07
				703	00	11	44

[F. No. L-14014/48/2021-GP-II)(E-39702]

RAKESH MISHRA, Under Secy.